

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 04/2016

संस्थित दिनांक-29/03/2016

फाईलिंग नंबर-230303003652016

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मौ, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

वि रू द्ध

- 1- सुभाष पुत्र लज्जाराम आयु 35 वर्ष
निवासी ग्राम गाता थाना मेहगांव
जिला भिण्ड म0प्र0
- 2- अट्टा उर्फ रामरतन पुत्र ग्याप्रसाद आयु 27 वर्ष
निवासी ग्राम लुहारपुरा थाना मौ
जिला भिण्ड म0प्र0विचाराधीन अभियुक्तगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक।

अभियुक्तगण अट्टा उर्फ रामरतन एवं सुभाष द्वारा श्री ब्रजेन्द्र यादव
अधिवक्ता।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक **25 फरवरी 2017** को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 392/397 सहपठित धारा-34 भा0द0वि0 एवं धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 का आरोप है कि उन्होंने दि-11/09/2014 के रात 09:45 बजे जीरो रोड तिराहा के पास मौ गोहद रोड की पुलिया के पास अंतर्गत थाना मौ जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व लूट कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में फरियादी बनवारी सिंह यादव को उपहति कारित करते हुए उससे एक सोने की जंजीर, मोबाइल फोन एवं नगद 21,200/-रुपए की लूट लाटियों का उपयोग कर, घोर उपहति पहुंचाते हुए लूट कारित की।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि घटना दिनांक

को घटनास्थल मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक—एफ—91. 07.81 बी—21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक—2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि परिवारी बनवारी एवं साक्षी विजयहरि आपसे में सगे भाई है और साक्षी दौलत सिंह उनका पिता है। प्रकरण में यह भी निर्विवादित है, कि अभियुक्त बंटी उर्फ अतेन्द्र को आदेश दिनांक 16/02/17 के अनुसार फरार घोषित किया गया है।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है, कि फरियादी बनवारी ने दिनांक 11/09/14 को थाना मौ पर उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की कि, वह फतेहाबाद से अपनी मोटरसाइकिल से अपने ग्राम बमरोली आ रहा था, शाम रात करीबन 09:45 बजे जैसे ही वह दंदरौआ रोड से जीरो रोड तिराहा से मुड़कर गोहद मौ रोड के पास पहली पुलिया पर आया तो रोड पर पत्थर पड़े दिखे तथा पुलिया पर एक लडका खड़ा दिखा जिसने उसे हाथ दिया, जैसे ही उसने अपनी मोटरसाइकिल स्लो की वैसे ही दो व्यक्ति ओर रोड किनारे से निकले और उसके लाठी मारी जिससे वह गिर गया और तीनों बदमाशों ने उसकी लाठियों से मारपीट की जिससे उसके सिर में दो चोटें होकर खून निकलने लगा, व उसके दोनों हाथों में व पैरों में मुंदी चोटें आई व उसकी जेब में रखे 21,200/—रुपए, व सोने की चैन व मोबाइल जिसमें सिम क्रमांक 8965989899 व 07535950847 पड़ी थी, को वे लूट कर ले गए तब वह देहगांव आया देहगांव से तब उसने अपने भाई और पिता को सूचना दी, जंजीर को और अभियुक्तों को वह सामने आने पर पहचान लेगा।
4. फरियादी की उक्त मौखिक रिपोर्ट पर से थाना मौ में अपराध क्रमांक 310/14 धारा—394/34 भा0द0वि0 एवं 11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के तहत कायम कर प्र0पी0—01 की एफ0आई0आर0 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0—02 तैयार कर प्र0पी0—07, 12, एवं 18 के मुताबिक अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर तथा जब्तीपत्रक प्र0पी0—9, 17, 20 तैयार कर, साक्षीगण के कथन उपरान्त विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र सक्षम डकैती न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
5. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध के विरुद्ध धारा 392/397 सहपठित धारा—34 भा0द0वि0 एवं धारा—11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में झूठा फंसाए जाने का आधार

लिया है तथा अभियुक्त अट्टा उर्फ रामरतन द्वारा बचाव साक्ष्य देना व्यक्त करते हुए, बचाव साक्षी मनोज तोमर को ब0सा0-01 के रूप में परीक्षित कराया है ।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- 1- क्या विचाराधीन अभियुक्तगण ने फरार घोषित अभियुक्त बंटी उर्फ अतेन्द्र के साथ मिलकर दिनांक 11/09/14 को रात्रि करीब 09:45 बजे डकैती प्रभावित क्षेत्र जीरो रोड तिराहा की पुलिया के पास मौ गोहद रोड पर लूट कारित करने का आपस में मिलकर सामान्य आशय निर्मित किया ?
- 2- क्या उक्त सुसंगत घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने परिवादी बनवारी सिंह यादव से सोने की जंजीर, मोबाइल फोन और 21,200/-रुपए की लूट उसे स्वेच्छया घोर उपहतियां पहुंचाते हुए कारित की ?

--निष्कर्ष के आधार --

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02 का निराकरण

7. उक्त दोनों विचारणीय बिंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।
8. परीक्षित साक्षियों में से सर्वप्रथम चिकित्सकीय साक्ष्य का मूल्यांकन करना उचित होगा, अभियोजन की ओर से बताए गए कथानक में परिवादी बनवारी सिंह को लूट की घटना में अभियुक्तगण के द्वारा स्वेच्छया साधारण और घोर उपहतियां कारित करना भी बताया गया है, इस संबंध में प्रमाण हेतु डॉक्टर राहुल भदौरिया अ0सा0-05 को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि दिनांक 12/09/14 को वह सी0एच0सी0 मौ में आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को थाना मौ के आरक्षक आसाराम द्वारा आहत बनवारी सिंह के पुत्र दोलत सिंह यादव को मेडीकल परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसकी चोटों का उसने परीक्षण किया था, जिसमें निम्न चोटें पाई थी :-

चोट नंबर-1 एक फटा हुआ घाव जो कि सिर के दाईं ओर था, जिसके कोने असामान्य थे, उक्त घाव पर खून का द्रव्य जमा हुआ था। चोट का आकार 03 से0मी0 गुणा 0.5 से0मी0 गुणा 0.5 से0मी0 था।

चोट नंबर-2 एक फटा हुआ घाव जो कि सिर में बाईं ओर था जिसके कोने असामान्य थे, उक्त घाव पर खून का द्रव्य जमा हुआ था चोट का आकार 03 गुणित 0.5 गुणित 0.2 सेमी0 था।

चोट नंबर-3 बाएं हाथ की चौथी अंगुली पर एक छिलन का घाव था, जिसका आकार 01 गुणित 0.2 सेमी0 था।

चोट नंबर-4 दाएं घुटने पर चोट का निशान व दर्द था, जिसका आकार 03 गुणित 03 सेमी0 था।

चोट नंबर-5 आहत के दाएं घुटने पर बाहर की तरफ एक चोट का निशान जिसका आकार 04 गुणित 02 सेमी0 था।

चोट नंबर-6 आहत के बाएं घुटने पर एक चोट का निशान जिसका आकार 04 गुणित 02 सेमी0 था।

चोट नंबर-7 आहत के बाएं हाथ पर कोहनी के नीचे चोट का निशान था जिसका आकार 02 गुणित 01 सेमी0 था।

चोट नंबर-8 आहत को बाएं कंधे पर पीछे की तरफ चोट का निशान था, जिसका आकार 05 गुणित 01 सेमी0 था।

चोट नंबर-9 आहत को बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली में दर्द सूजन थी, उक्त चोट के लिए उसके द्वारा एक्सरे की सलाह दी गई थी।

चोट नंबर-10 आहत को दाएं हाथ पर कोहनी नीचे दर्द व सूजन थी, उक्त चोट के लिए उसके द्वारा एक्सरे की सलाह दी गई थी।

9. अ0सा0-05 ने अपने अभिसाक्ष्य में आहत बनवारी सिंह को पाई उपरोक्त चोटों के संबंध में प्र0पी0-10 की मेडीको लीगल रिपोर्ट तैयार करते हुए चोट क्रमांक 03 सख्त व खुरदरी वस्तु से आना शेष चोटें कड़ी व भौंथरी वस्तु से परीक्षण करने से 12 घंटे के भीतर की बताते हुए, परीक्षण रात 12:15 बजे करना कहा है और उक्त दिनांक को ही आहत बनवारी सिंह का एक्सरे परीक्षण करने पर बाएं हाथ की चौथी एवं पांचवीं मेटाकार्पल अस्थि में अस्थिभंजन पाना बताया है तथा दाहिने हाथ पर अल्ना नामक हड्डी के निचले एक तिहाई भाग पर भी अस्थिभंजन पाना बताया है, जिसकी प्र0पी0-11 की एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट तैयार करना कहा है, पाए गए अस्थिभंजन की एक्सरे प्लेटें आर्टीकल ए और बी बताई गई है, यह भी स्पष्ट किया है, कि आहत परीक्षण के समय बोल रहा था, उसकी

नब्ज व नाडी सामान्य थी, चोटें प्राणघातक नहीं थी चोटों के संबंध में उसने आहत से पूछताछ नहीं की थी, आहत की चोटें किसी वाहन से दुर्घटना जैसी भी संभव थी, परिवादी से मिलकर गलत मेडीकल रिपोर्ट तैयार करने से उसने इन्कार किया है।

10. इस संबंध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है, कि आहत की चोटें मोटरसाइकिल से गिरने से आई होंगी क्योंकि पुलिस कहानी में उसका मोटरसाइकिल से रात के समय आना बताया है, इसलिए चोटें लूट की घटना में कारित होना संदिग्ध माना जाए, जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क है, कि चोट लूट की घटना में आई हैं, यह मौखिक साक्ष्य से देखा जाना चाहिए चिकित्सक ने मात्र संभावना व्यक्त की है, इसलिए बचाव पक्ष का तर्क विधि सम्मत नहीं है।
11. अभियोजन की ओर से जो कथानक बताया गया है, उसमें परिवादी बनबारी सिंह यादव को फतेहाबाद से अपनी मोटरसाइकिल से अपने गांव बमरोली जाते समय रास्ते में दंदरौआ रोड से जीरो रोड तिराहे के पास पुलिया पर पत्थर पड़े होने से और एक लडके द्वारा उसकी मोटरसाइकिल को हाथ देकर रोकने पर रुकना और फिर तीन लोगों द्वारा लाठियों से मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया जाना बताया गया है, अर्थात् कथानक मुताबिक चोटें सख्त भौथरी वस्तु से कारित बताई गई है, इस दृष्टि से यदि चिकित्सकीय अभिसाक्ष्य को देखा जाए तो प्र0पी0-10 की मेडीको लीगल रिपोर्ट मुताबिक जो दस चोटें आहत बनबारी सिंह यादव को पाई गई है, वह सिर, हाथ, पैर, घुटने, कुहनी, उंगलियों आदि में है, ऐसे में अ0सा0-05 द्वारा कण्डिका 04 में व्यक्त संभावना का प्र0पी0-10 जैसी चोटें किसी वाहन से दुर्घटना में आ सकती है, उसे आहत के संबंध में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, बल्कि चोटें कड़ी भौथरी वस्तु से पहुंचाई जाना अधिक प्रबल है, क्योंकि जिन अंगों पर चोटें आई हैं, उन सभी अंगों पर चोटें सड़क दुर्घटना में यदि आती, तो फिर ज्यादातर चोटें छिलन के रूप में आना चाहिए थी, जबकि छिलन के रूप में मात्र एक हाथ की चौथी उंगली की चोट है और चोटें लूट कारित करने की घटना में पहुंची यह प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकित करना होगा, कथानक मुताबिक घटना दिनांक 11/09/14 के रात्रि 09:45 बजे की बताई गई है, चिकित्सक द्वारा आहत का परीक्षण रात 12:15 बजे किया गया और चोटें परीक्षण से 12 घंटे के भीतर की बताई गई है, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है, कि आहत बनबारी को प्र0पी0-10 की एम0एल0सी0 मुताबिक पाई गई चोटें घटना के समय की संभावित है और सख्त भौथरी वस्तु से कारित हुई है, जिसमें उसे साधारण एवं अस्थिभंजन होने से गंभीर उपहति भी पहुंची थी,

अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिससे यह माना जा सके, कि डाक्टर राहुल सिंह भदौरिया के द्वारा प्र0पी0-11 की मेडीकोलीगल रिपोर्ट और एक्सरे रिपोर्ट परिवादी से मिलकर असत्य तैयार की गई है, इसलिए उक्त सुझाव स्वीकार योग्य नहीं है, अतः यह पाया जाता है, कि आहत बनबारी सिंह यादव को उपरोक्त साधारण व गंभीर चोटें वाहन दुर्घटना के फलस्वरूप नहीं पहुंची है, बल्कि स्वेच्छया कारित की गई है, अभियुक्तगण द्वारा वे कारित की गई यह अभी विश्लेषित शेष साक्ष्य से करना होगा।

12. प्रकरण में अभी अभियुक्त सुभाष एवं अट्टा उर्फ रामरतन के संबंध में निर्णय किया जा रहा है, बंटी उर्फ अतेन्द्र फरार है, इसलिए फरार अभियुक्त के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य का अभी मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता न होने से तहसीलदार वंदना बघेल अ0सा0-04 के प्र0पी0-06 के शिनाख्ती मेमो की साक्ष्य एवं राकेश अ0सा0-12 तथा प्रधान आरक्षक राधामोहन अ0सा0-16 का प्र0पी0-18 लगायत प्र0पी0-20 के दस्तावेजों के संबंध में दिए गए अभिसाक्ष्य का विश्लेषण अभी नहीं किया जा रहा है, संबंधित अभियुक्त के निराकरण के समय उस पर विचार होगा।

13. परिवादी बनबारी सिंह अ0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण की पहचान सुनिश्चित करते हुए उनके द्वारा उसके साथ लूट की घटना कारित करना बताते हुए, यह अभिसाक्ष्य दिया है, कि वह दिनांक 11/09/14 को मोटरसाइकिल से अपने घर ग्राम बमरोली फतेहाबाद से वापिस रात के समय आ रहा था, फतेहाबाद में वह प्राइवेट नौकरी एस0एम0सी0 क्रीवी फूड्स लिमिटेड में दूध के छोटे चिलर प्लांट में एरिया इंचार्ज होकर कार्यरत है और उसे 12,500/-रुपए मासिक वेतन मिलता है, जो फैक्ट्री खुर्जा बुलंदशहर में है उक्त दिनांक को रात करीब 09:40-09:45 बजे जब वह दंदरौआ रोड के पास जीरो नामक स्थान पर मोड़ से करीब 100 मीटर आगे गोहद मौ रोड पर पहली पुलिया के पास पहुंचा तो वहां एक अभियुक्त खड़ा था, रोड पर खण्डा और पत्थर रखे थे, रोड पर खड़े अभियुक्त के उसने बंटी उर्फ अतेन्द्र के रूप में पहचानना बताते हुए उसके द्वारा हाथ देकर रोकना बताया है, जो हाथ में लाठी लिए था, उसने अपनी मोटरसाइकिल की गति धीमी की वह मोटरसाइकिल से उतर नहीं पाया था, कि तभी तक पुलिया के अंदर से शेष दो अभियुक्तगण निकलकर आए फिर तीनों ने लाठियों से उसकी मारपीट की जिससे उसके दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया, सिर पैर में भी चोटें आई, मारपीट से भयभीत होकर उसने अपना पर्स अभियुक्तगण की ओर फेंक दिया और जब वह गिर गया तब अभियुक्तगण ने उसके गले में पड़ी हुई सोने की जंजीर खींच ली, तथा उसके पर्स में रखे 21,200/-रुपए और उसका इन्टेक्स कंपनी

का मोबाइल जिसमें सिम क्रमांक 8969989899 थी दूसरी सिम उसे याद नहीं है, वह लूट कर तीनों वहां से भाग गए थोड़ी देर तक वह वहीं पड़ा रहा, फिर वहां से चलकर ग्रामा देहगांव आया और एक श्रीवास (नाई) के मकान पर पहुंचा उसे उसने घटना के बारे में बताया श्रीवास ने उसके घर पर फोन लगाया तब उसने अपने भाई विजयहरि और पिता दौलत सिंह यादव को बताया जो आए उनके साथ गांव के दो तीन लोग और भी थे फिर सभी थाना मौ रिपोर्ट को गए, फिर उसने रिपोर्ट लिखाई थी, जो प्र0पी0-01 है, पुलिस दूसरे दिन घटनास्थल पर गई थी और प्र0पी0-02 का नक्शा मौका बनाया था, प्र0पी0-01 और 02 पर उसके हस्ताक्षर करना भी बताया है, बनवारी अ0सा0-01 के उक्त अभिसाक्ष्य का समर्थन अनुश्रुत साक्षी के रूप में भाई उसके भाई विजयहरि अ0सा0-02 एवं पिता दौलतसिंह अ0सा0-03 ने अपने अभिसाक्ष्य में किया है।

14. अ0सा0-01 ने कण्डिका 05 में अपनी नौकरी वाले स्थान से गांव वापिस आने का कारण स्पष्ट करते हुए यह कहा है, कि वह अपने गांव बिना किसी त्योहार के छुट्टी काटने के लिए आ रहा था, उसकी मोटरसाइकिल टी0व्ही0एस0 विक्टर थी, वह शाम के करीब 04:00 बजे फतेहाबाद से पिनाट पोरसा, गोरमी, मेहगांव के रास्ते आया था और दंदरौआ से सीधा रिश्ता जीरो मोड होकर अपने घर आ रहा था, मौ से सलामपुर होते हुए देहगांव और उसके गांव बमरोली तक साइकल है, मेहगांव से मौ जाने पर दंदरौआ पहले ही पडता है और पहली बार ही पिनाट से पोरसा होते हुए निकला था, उसका घटना दिनांक को फतेहाबाद से अपने गांव बमरोली आने के संबंध में जो आक्षेप बचावपक्ष की ओर से कण्डिका 06 लगायत 08 में बताए हैं, वे उसके अभिसाक्ष्य को संदिग्ध मानने हेतु पर्याप्त नहीं हैं, तथा कण्डिका 09 में मोटरसाइकिल से लाठी मारने पर गिरने बताया है, इसलिए मोटरसाइकिल से चलते समय दुर्घटनावश गिरने से चोटें आने की संभावना समाप्त हो जाती है और उसके संबंध में बचाव पक्ष के सुझाव महत्व नहीं रखता है, जैसा कि कण्डिका-09 में पूछा गया है, साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है, कि मोटरसाइकिल से जब वह गिरा था, तब उसकी मोटरसाइकिल का केवल बाएं तरफ का इण्डीगेटर टूटा था और कोई टूटफूट नहीं हुई थी और हेडलाइट जलती रही थी, उसने चोटें भी स्पष्ट की हैं, चोटों से खून आने पर पहने हुए कपड़ों में भी लग जाना बताया है, खून लगे कपड़ों की जल्दी अभियोजन कथानक मुताबिक की जाना नहीं बताई गई है, किंतु वह परिवादी की प्रत्यक्ष साक्ष्य को देखते हुए महत्वहीन है।

15. अ0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में पर्स में बताए गए 21,200/-रुपए की उपलब्धता का भी स्पष्टीकरण देते हुए, कण्डिका

11 एवं 12 में रूपए पेंट के अंदर जेब में रखना बताए है, रूपए शर्ट की जेब में या पेंट की जेब में रखने के संबंध में जो मुख्यपरीक्षण और प्रतिपरीक्षण कण्डिका 11 एवं 12 में भिन्नता आई है, उसे तात्विक स्वरूप का नहीं माना जा सकता है, न ही वह उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य को संदिग्ध मानने के लिए पर्याप्त है।

16. अ0सा0-01 ने घटनास्थल के बारे में यह भी स्पष्ट किया है, कि घटनास्थल के आसपास किसी के आवासीय घर नहीं है और मौके से 10-15 मिनट बाद धीरे धीरे पैदल पैदल देहगांव में पहुंचा था और पहला मकान ही श्रीवास का मिला था, जिसे उसने घटना बताई थी, जिसने उसके घर पर फोन लगाया था, गांव से जो लोग घर आए थे, उसमें पिता और भाई के अलावा मनोज विष्णू, रामवीर भी मोटरसाइकिल से आए थे, कण्डिका 14 में उसने थाने पर करीब रात 11:00 बजे पहुंचना बताया है और रिपोर्ट करना कहा है, जिसकी पुष्टि प्र0पी0-01 की एफ0आई0आर0 से भी होती है, जो रात 11:00 बजे ही दर्ज की गई थी, पिता और भाई के साथ अन्य लोगों के संबंध में प्र0पी0-01 की एफ0आई0आर0 और प्र0डी0-02 के पुलिस कथन में जानकारी न देना भी तात्विक नहीं है, क्योंकि एफ0आई0आर0 में सभी बिन्दुओं का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि एफ0आई0आर0 अनुसंधान के संचालन के लिए दर्ज की जाती है, वह सारभूत साक्ष्य नहीं होती है (FIR not a substitutional Avidence) और उसने रात में ही मेडीकल और इलाज होना भी कहा है, जो प्र0पी0-10 और 11 की पुष्टि करता है, नक्शामौका उसने दिन के 01:30 बजे के करीबन बनाया जाना कहा है, प्र0पी0-02 के नक्शा मौका मुताबिक दिन के 02:00 बजे ही दिनांक 12/09/14 को उसे तैयार किया गया था, जैसा कि तत्कालीन थाना प्रभारी मौ निरीक्षक कुशलसिंह भदौरिया अ0सा0-06 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में बताया है और उसने भी प्र0पी0-01 की एफ0आई0आर0 भी परिवादी बनबारी की मौखिक रिपोर्ट पर पंजीबद्ध करना बताई है।

17. प्र0पी0-02 का नक्शा मौका बनबारी अ0सा0-01 और टी0आई0 कुशल सिंह भदौरिया अ0सा0-06 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होता है, घटनास्थल के संबंध में कोई अन्यथा तथ्य भी प्रकट नहीं किया गया है, न उसे चुनौती दी गई है, जिससे घटनास्थल राजस्व जिला भिण्ड का भाग होने से एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 की धारा-03 के अंतर्गत कण्डिका 02 में उल्लेखित अधिसूचना मुताबिक डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित है, अर्थात् घटना डकैती प्रभावित क्षेत्र में घटित होना प्रमाणित हो जाता है और प्र0पी0-01 की एफ0आई0आर0 भी अ0सा0-01 और अ0सा0-06 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित है, अनुश्रुत साक्षी के रूप में विजयहरि अ0सा0-02 और

दोलत सिंह यादव अ0सा0-03 का भी समर्थन प्राप्त है, जिन पर केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है, कि वे फरियादी के भाई और पिता होकर हितबद्ध साक्षी हैं, क्योंकि उनका रिपोर्ट के समय साथ में जाना प्र0पी0-01 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, जिसकी पुष्टि भी अ0सा0-01 और अ0सा0-06 के अभिसाक्ष्य से होती है और उससे यह भी प्रमाणित हो जाता है, कि परिवादी बनबारी सिंह यादव अ0सा0-01 के साथ जो लूट की घटना दिनांक 11/09/14 को रात करीब 10:45 बजे जीरो रोड तिराहे के पास मौ गोहद रोड की पुलिया के पास घटना हुई उसे तीन व्यक्तियों के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें लूट कारित करने में परिवादी को स्वेच्छया साधारण व घोर उपहत्या भी पहुंचाई गई थी।

18. अब प्रकरण में यह बिन्दु विचारण के लिए उत्पन्न है, कि क्या प्र0पी0-01 में बताई गई घटना विचाराधीन अभियुक्तगण ने फरार घोषित अभियुक्त के साथ मिलकर कारित की है, इस संबंध में भी वैधानिक रूप से साक्ष्य का मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता हो जाती है। अभियोजन मुताबिक अभियुक्तगण को अभियोजित करने के जो आधार प्रकट किए गए हैं, उसमें परिवादी की प्रत्यक्ष साक्ष्य के अलावा उससे कराई गई पहचान की कार्यवाही, गिरफ्तारी उपरांत वस्तुओं की बरामदगी के संबंध में लिए गए ज्ञापन और उनके आधार पर हुई बरामदगी के साथ साथ परिवादी के लूटे गए मोबाइल की सी0डी0आर0 रिपोर्ट से भी संलिप्तता बताई गई है, इन बिन्दुओं पर आई साक्ष्य का भी मूल्यांकित किए जाने की आवश्यकता हो जाती है।

19. प्र0पी0-01 की एफ0आई0आर0 मुताबिक परिवादी के नगद 21,200/-रुपए, एक मोबाइल तथा सोने की जंजीर की लूट बताई गई है, अनुसंधान के दौरान जंजीर अभियुक्त सुभाष से बरामद होना और उसकी पहचान कराई जाना तथा अभियुक्तगण की पहचान कराया जाना बताया गया है, परिवादी बनबारी अ0सा0-01 के अभिसाक्ष्य को देखा जाए तो उसने अपने अभिसाक्ष्य की कण्डिका 04 में यह बताया है, कि उसकी लूटी गई सोने की चैन की पहचान की कार्यवाही मौ तहसील में हुई थी और उसने अपनी सोने की चैन को सही पहचाना था, जिसकी शिनाख्ती मेमो की प्र0पी0-03 की कार्यवाही हुई थी, जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर बताए भी बताए हैं, प्र0पी0-03 के संबंध में कण्डिका में उसने यह भी स्पष्ट किया है, कि वह जंजीर की बनावट बता सकता है, जो उसके पिता ने पांच छः साल पहले बनाई थी और कण्डिका 16 में उसने चैन की पहचान घटना के करीब डेढ़ साल बाद करना बताई है और यह भी कहा है, कि उसकी चैन की बनावट रस्सी जैसी थी, पहचान के समय रस्सी जैसी बनावट की ओर भी चार चैन मिलाई गई थी, तहसीलदार साहब ने शिनाख्ती की कार्यवाही कराई थी, और कोई

नहीं था, पहचान के लिए उसे थाने से लिखित सूचना मिली थी उस समय सर्दी का मौसम था।

20. प्र०पी०-०३ के शिनाख्ती मेमो की कार्यवाही के संबंध में परिवादी के अभिसाक्ष्य में और कोई तथ्य नहीं पूछे गए हैं, जो सुझाव देकर प्रश्न पूछे गए हैं, उनके संबंध में बनवारी अ०सा०-०१ ने स्पष्ट अभिसाक्ष्य दिया है, जिसकी पुष्टि प्र०पी०-०३ से भी होती है, क्योंकि घटना दिनांक 11/09/14 की है, सोने की चैन की शिनाख्ती की कार्यवाही दिनांक 31/12/15 को तहसीलदार गोहद/मौ द्वारा तहसील कार्यालय मौ में दिन के करीब 03:50 बजे से 04:00 बजे के दरम्यान करना बताया गया है, जैसा कि प्र०पी०-०३ में अंकित है, और उस अनुसार ही तत्कालीन तहसीलदार मौ एवं गोहद रहे डी०के० पाण्डेय अ०सा०-०७ ने भी अपने अभिसाक्ष्य में बताया है और स्वर्णकार की दुकान से चार सोने की चैन मंगाकर मिलाकर रखी जाना कहा है, किस स्वर्णकार से ली गई थीं यह न तो आवश्यक है, न ही उसके संबंध में अपेक्षा की जा सकती है, इसलिए प्र०पी०-०३ की शिनाख्ती कार्यवाही के संबंध में बनवारी अ०सा०-०१ व तहसीलदार डी०के० पाण्डेय अ०सा०-०७ ने जो अभिसाक्ष्य दिया है, वह इस बात का प्रमाण देता है, कि सोने की चैन की शिनाख्ती की कार्यवाही में विधि और प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और पहचान की कार्यवाही प्रमाणित होती है। अब यह देखना होगा कि क्या जिस सोने की चैन की पहचान परिवादी बनवारी अ०सा०-०१ ने प्र०पी०-०३ अनुसार की थी, वहीं सोने की चैन अभियुक्त सुभाष से प्र०पी०-१७ के जब्तीपत्रक मुताबिक विधि अनुसार जब्त हुई थी अथवा नहीं यदि जब्त होना प्रमाणित होता है, तो वह कड़ी के रूप में घटना से सीधा जुड़ सकता है।

21. धारा-२७ साक्ष्य विधान के उपबंध मुताबिक— **अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी—** परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चल जाता है, तब ऐसी जानकारी में से, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी ऐतद द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।

22. साक्ष्य विधान की धारा-२७ के निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंग हैं:-

1. सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए।
2. उसका पुलिस की अभिरक्षा में होना चाहिए।
3. उस व्यक्ति के द्वारा दी गई जानकारी के परिणाम

स्वरूप किसी सुसंगत तथ्य का पता लगना चाहिए।

4. पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित भाग को साबित किया जा सकता है।
5. चाहे वह भाग संस्वीकृति की कोटि में आता हो या नहीं।

23. अभियोजन कथानक मुताबिक अभियुक्त सुभाष सिंह कुशवाह को प्र०पी०-12 के गिरफ्तारीपत्रक मुताबिक दिनांक 20/12/15 को 08:00 बजे थाना परिसर मौ में गिरफ्तार किया जाना बताया गया है, उससे पूर्व 07:30 बजे उक्त दिनांक को ही निरीक्षक शेरसिंह के द्वारा पूछताछ कर किए गए प्रकटीकरण के संबंध में धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत प्र०पी०-16 का ज्ञापन लिया जाना बताया है, जिसमें उसने इस बात की जानकारी दी कि सोने की चैन उसे, अट्टा यादव को मोबाइल एवं 12,200/-रुपए एवं बंटी गुर्जर को 9,000/-रुपए मिले थे, चैन उसने अपने घर पर ग्राम गाता में छिपाकर रखना और बरामद कराने की सूचना दी, जिस पर से दिनांक 22/12/15 को अभियुक्त सुभाष के ग्राम गाता थाना मेहगांव स्थित मकान के पिछले कमरे में दाहिनी तरफ रखे हरे रंग के बक्से में से एक लाल कपडे में बंधी रखी सोने की चैन बरामद कराना बताया है, जब्तीपत्र के कॉलम नंबर 13 में सील नमूना, अभियुक्त के हस्ताक्षर की कार्यवाही भी बताई गई है, गिरफ्तारी के पंचसाक्षी आरक्षक सूरज नागर और आरक्षक आशिक खान ज्ञापन एवं जब्ती के पंचसाक्षी आरक्षक राधामोहन एवं सुरेन्द्र सिंह यादव बताए गए हैं, गिरफ्तारी, मेमो एवं जब्ती की कार्यवाही निरीक्षक शेरसिंह द्वारा की जाना बताई गई है, जिसके संबंध में निरीक्षक शेरसिंह अ०सा०-17 ने अपने अभिसाक्ष्य की कण्डिका 03 में गिरफ्तारी, कण्डिका 04 में ज्ञापन और कण्डिका 05 में ज्ञापन के आधार पर जब्ती के संबंध में उक्त दस्तावेजों अनुरूप अभिसाक्ष्य दिया है, गिरफ्तारी का समर्थन आरक्षक सूरज नागर अ०सा०-08 ने अपने अभिसाक्ष्य में किया है, तथा प्र०पी०-16 एवं 17 की कार्यवाही का समर्थन आरक्षक राधामोहन अ०सा०-16 ने भी किया है, दूसरे पंचसाक्षी सुरेन्द्र सिंह अ०सा०-11 में प्र०पी०-16 एवं 17 की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है और पक्षविरोधी रहा है, उसने पुलिस द्वारा थाने पर प्र०पी०-16 एवं 17 के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराना कहा है, किंतु यह स्वीकार किया है, कि जब उसने हस्ताक्षर किए थे, तब सुभाष वहीं मौजूद था, लेकिन सुभाष ने सोने की चैन छिपाकर रखने और बरामद कराने की जानकारी उसके सामने नहीं दी, न उसके सामने सुभाष से कोई जंजीर जब्त हुई।

24. विचाराधीन अभियुक्तगण की ओर से आरक्षक राधामोहन अ०सा०-16 की प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 09 लगायत 11

में पूछे गए प्रश्नों के उसने सटीक उत्तर दिए हैं और कोई संदेहजनक स्थिति उसके अभिसाक्ष्य में उत्पन्न नहीं हुई है, तथा निरीक्षक शेरसिंह अ०सा०-17 ने दिए गए इस सुझाव से इन्कार किया है, कि सुभाष से सोने की चैन बरामद नहीं हुई है और इस बात से इन्कार किया है, कि अभियुक्त सुभाष पर अवैध हथियार रखने के संबंध में आयुध अधिनियम की धारा-25 के तहत प्रथक से अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसमें गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद विचाराधीन प्रकरण में गिरफ्तारी हुई, यह भी स्वीकार किया है, कि अभियुक्त सुभाष पर एक अन्य अपराध धारा-363, 366 भा०द०वि० का भी पंजीबद्ध हुआ था और अपहर्ता के बरामद होने पर जांच में आए तथ्यों के आधार पर धारा-376 भा०द०वि० का इजाफा हुआ था, किंतु इस बात से इन्कार किया है, कि अपहर्ता के परिजनों से टॉवर की नौकरी व ट्रेक्टर को लेकर विवाद था और उसी रंजिश परसे उसे फूटा फंसाया गया है, अर्थात् प्र०पी०-12 गिरफ्तारी, प्र०पी०-16 मेमो कथन और प्र०पी०-17 सोने की जंजीर की जब्ती संबंधी कार्यवाही का खण्डन विवेचक की अभिसाक्ष्य में नहीं है, ऐसा भी कोई तथ्य नहीं पूछा गया है, कि जो उक्त कार्यवाही को संदिग्ध बनाते हों, इसलिए मेमोरेण्डम कथन और जब्ती पत्रक अनुप्रमाणक साक्षी सुरेन्द्र सिंह यादव अ०सा०-11 के पक्षविरोधी होकर समर्थन न करने का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन के मामले पर नहीं पड़ता है, तथा प्र०पी०-12 की प्रकरण में गिरफ्तारी अ०सा०-08 एवं 17 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होती है, और प्र०पी०-16 एवं 17 की कार्यवाही आरक्षक राधामोहन और निरीक्षक शेरसिंह अ०सा०-16 एवं 17 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होती है, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है, कि अभियुक्त सुभाष द्वारा ज्ञापन में दी गई तथ्यों की जानकारी के आधार पर उसके आधिपत्य से ही सोने की जंजीर जो रस्सीनुमा बनावट की थी, जिसकी शिनाख्ती परिवारी बनवारी अ०सा०-01 द्वारा प्र०पी०-03 मुताबिक की गई है, वही अभियुक्त सुभाष से बरामद की हुई, जिससे अभियुक्त सुभाष लूट सहित स्वेच्छया साधारण व घोर उपहृतियां परिवारी बनवारी को पहुंचाई जाने संबंधी प्र०पी०-01 की एफ०आई०आर० उल्लेखित घटना से सीधा संबंध जुड़ना पाया जाता है और प्र०पी०-12, 16 एवं 17 की कार्यवाही के संबंध में अ०सा०-08, अ०सा०-16 एवं अ०सा०-17 का अभिसाक्ष्य विश्वास योग्य पाया जाता है।

25. जहां तक अभियुक्त अट्टा उर्फ रामरतन का घटना में सम्मिलित होने का बिन्दु है, कथानक मुताबिक अभियुक्त अट्टा उर्फ रामरतन को प्र०पी०-07 के गिरफ्तारी पत्रक मुताबिक दिनांक 29/12/15 को गिरफ्तार किया जाना तत्पश्चात धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत पूछताछ कर उसका प्र०पी०-08 का ज्ञापन लिया जाना और ज्ञापन के आधार पर एक बांस की लाठी और

1,100/-रुपए की बरामदगी प्र0पी0-09 मुताबिक बताई गई है, उक्त कार्यवाही के पंचसाक्षी आरक्षक राधामोहन, आरक्षक गौरव कटारे और परिवादी का भाई विजयहरि बताया गया है, उक्त अभियुक्त के संबंध में प्र0पी0-07 लगायत प्र0पी0-09 की कार्यवाही भी घटना के विवेचक निरीक्षक शेरसिंह अ0सा0-17 के द्वारा की जाना बताई गई है और अभियुक्त अट्टा उर्फ रामरतन को सी0एच0सी0 मौ के सामने गोहद रोड से गिरफ्तार करना बताया है, जिसके गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-07 में वर्तमान पता किशन हलवाई की दुकान पुलिस लाइन के पास सोनीपत हरियाण का बताया गया है, जो मूलतः लुहारपुरा थाना मौ जिला भिण्ड का निवासी है, प्र0पी0-08 के ज्ञापन मुताबिक उससे यह जानकारी प्राप्त होना बताई गई है, कि उसे मोबाइल फोन और 12,200/-रुपए मिले थे, तथा लाठी और लूट के रुपए में से 1,100/-रुपए उसने अपने लुहारपुरा में घर में रखा है, मोबाइल करीब छः महीने पूर्व बघावली में गिर गया था, शेष रुपए उसने खर्च कर लिए हैं, उक्त जानकारी के आधार पर उसके लुहारपुरा स्थित कच्चे घर में सूटकेश में से 1,100/-रुपए एवं खपरेल के कोने से बांस की लाठी चार फिट दो इंच लंबाई की बरामद होना बताई गई है, उक्त प्र0पी0-07 लगायत प्र0पी0-09 की कार्यवाही के संबंध में विजयहरि अ0सा0-02 जो कि परिवादी का भाई है, उसने अपने अभिसाक्ष्य में पुलिस द्वारा उक्त कार्यवाही किए जाने के संबंध में कण्डिका 02 एवं 03 में स्पष्ट अभिसाक्ष्य दिया है और उसके संबंध में प्रतिपरीक्षण के पैरा-09 लगायत 11 में जो तथ्य पूछे गए हैं, उनका समुचित उत्तर दिया है, तथा कण्डिका 09 लगायत 11 में दिए गए सुझावों के जो उत्तर आए हैं, उससे कहीं भी ऐसा प्रकट नहीं होता है, कि अभियुक्त से उसकी कोई पूर्व की बुराई हो या प्र0पी0-07 लगायत प्र0पी0-09 में जो कार्यवाही बताई गई है, वह संदिग्ध होती हो, राधा मोहन अ0सा0-16 ने भी प्र0पी0-07 की गिरफ्तारी और प्र0पी0-08 के ज्ञापन के संबंध में स्पष्ट अभिसाक्ष्य दिया है, तथा उसके अभिसाक्ष्य की कण्डिका 1 लगायत 05 में इस संबंध में स्पष्ट साक्ष्य आई है, जिसका खण्डन प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 11 में नहीं हुआ है और सुझाव औपचारिक है।

26. प्र0पी0-07 लगायत 09 की कार्यवाही करने वाले निरीक्षक शेरसिंह अ0सा0-17 ने इस संबंध में अपने अभिसाक्ष्य की कण्डिका 08 लगायत 10 में दस्तावेजों अनुरूप अभिसाक्ष्य दिया है और कण्डिका-17 एवं 18 उसके संबंध में भी की गई प्रतिपरीक्षा में औपचारिक सुझाव है कोई खण्डन मुख्यपरीक्षण में आए तथ्यों का नहीं है, 1,100/-रुपए और बांस की लाठी अट्टा उर्फ रामरतन के स्थाई निवास वाले घर से उसके आधिपत्य से प्र0पी0-08 के ज्ञापन से प्राप्त जानकारी के आधार पर जब्त होना प्रमाणित होता है, ऐसी स्थिति में प्र0पी0-07 लगायत 09 की कार्यवाही की पुष्टि विजयहरि

अ0सा0-02 और आरक्षक राधामोहन अ0सा0-16 एवं आरक्षक गौरव कटारे अ0सा0-15 तथा टी0आई0 शेरसिंह अ0सा0-17 के अभिसाक्ष्य से होती है, क्योंकि आरक्षक गौरव अ0सा0-15 ने भी प्र0पी0-09 के जब्तीपत्रक के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य दी है उसने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के घर का दरवाजा किस दिशा में था, यह उसे याद न होना, अभियुक्त के घर में कितने कमरे थे इसका पता न होना अवश्य बताया है, किंतु उससे कोई तात्विक विसंगति उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए प्र0पी0-07 लगायत 09 की कार्यवाही प्रमाणित होती है, कथानक में परिवादी बनबारी अ0सा0-01 को लूट की घटना में अभियुक्तगण के द्वारा लाठियों से मारपीट कर उपहतियां कारित किया जाना बताया भी गया है और चिकित्सकीय साक्ष्य से भी प्रमाणित हुआ है, जिससे उक्त अभियुक्त अट्टा उर्फ रामरतन की भी घटना में प्रत्यक्षतः संलिप्तता सुनिश्चित होती है, बचावपक्ष का यह तर्क की रूपए किसी के पास भी हो सकते हैं और जो लाठी जब्त बताई गई है, वह किसी के पास भी मिल सकती है और आम तौर पर हर जगह उपलब्ध रहती है और बजार में भी मिलती है, किंतु इस आधार पर संदेह उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी साक्षी की अभियुक्त से पूर्व की कोई जान पहचान बुराई या रंजिश न तो बताई गई है, न स्पष्ट हुई है, न ऐसा आधार सुसंगत है।

27. अभियुक्त अट्टा उर्फ रामरतन के संबंध में जो बचाव साक्षी मनोज तोमर ब0सा0-01 की अभिसाक्ष्य कराई गई है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में अपना वर्तमान पता श्रीकृष्ण पेड़ेवाले हलवाई की दुकान रुहाना रोड सोनीपत हरियाणा का बताया है और स्थाई निवासी एम0जे0एस0 कॉलेज के पास भिण्ड का बताया है, उसने सोनीपत में किशन हलवाई के यहां काम करना वहीं पर अट्टा उर्फ रामरतन का काम करना भी बताया है और तीन चार साल से उक्त हलवाई की दुकान पर काम करना स्थाई रूप से सोनीपत में ही रहना बताते हुए उसने घटना दिनांक 11/09/14 को अभियुक्त अट्टा उर्फ रामरतन का उसके साथ सोनीपत हरियाणा में उक्त हलवाई की दुकान पर ही कार्यरत रहना बताया है और मुख्यपरीक्षण में ही उक्त आशय की साक्ष्य दी है, कि दिनांक 16/12/15 को रात्रि में अट्टा सहित रामलखन रामलखन की मां खत्म हो गई थी, जिसकी उसे फोन पर सूचना मिली थी और सूचना मिलने पर अट्टा उर्फ रामरतन अगले दिन सोनीपत से मौ के लिए आया था, उसकी मां की तैरवी दिनांक 28/12/15 को थी, जिसमें वह भी उपस्थित हुआ था और तेरवी के पश्चात अगले दिन जब अट्टा उर्फ रामरतन टेंट हाउस के सामान को वापिस करने के लिए दुकान पर उसके साथ गया था, वहीं पुलिस ने अट्टा उर्फ रामरतन को पकड़ लिया था और जबरन पकड़कर ले गए थे, इस प्रकार से वह अभियुक्त

अट्टा उर्फ रामरतन को असत्य रूप से मामले में अभियोजित करने की साक्ष्य देता है, किंतु उसके प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य भी आया है, कि अट्टा अपने घर में अकेला है, उसकी मां अकेली ही रहती थी, उसने यह भी स्वीकार किया है, कि वह मोबाइल रखता है और अट्टा उर्फ रामरतन के पास भी मोबाइल रहता है और उसने साक्ष्य के दौरान अपने मोबाइल में से अभियुक्त अट्टा उर्फ रामरतन का मोबाइल नंबर 9074003255 होना बताते हुए एक ही नंबर उसके पास अट्टा का होना कहा है, उक्त सिम नंबर उसने करीब डेढ़ साल पहले अट्टा से प्राप्त करना बताया है, अट्टा किस सिम नंबर का उपयोग फोन में करता था उसे उसकी जानकारी नहीं है, हलवाई की दुकान पर उसने आठ-दस लोगों का काम करना बताया है और उसके साथ के मजदूर कब-कब किस-किस दिनांक को सोनीपत से अपने घर आते जाते थे यह बताने में उसने असमर्थता व्यक्त की है, उसका यह अभिसाक्ष्य की अट्टा उर्फ रामरतन अपने घर में अकेला है और उसकी मां अकेली रहती थी, ऐसे में तीन चार साल तक मां को देखने के लिए न आने का दिया गया अभिसाक्ष्य स्वभाविक नहीं है, उसके अभिसाक्ष्य से अधिकतम यही स्थापित हो सकता है, कि अट्टा उर्फ रामरतन सोनीपत में मजदूरी किसी हलवाई के यहां अवश्य करता था, किंतु वह घटना दिनांक को सोनीपत में ही घटना के समय उपस्थित था, इस आशय की सुदृढ़ साक्ष्य उक्त बचाव साक्षी के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए असत्य रूप से घटना में उसे संलिप्त किए जाने संबंधित बचाव पक्ष की अभिसाक्ष्य न तो विश्वसनीय है और न स्वीकार किए जाने योग्य है, बल्कि यह अवश्य स्थापित होता है, कि अट्टा उर्फ रामरतन मोबाइल फोन का उपयोग घटना के पूर्व से करता चला आ रहा है।

28. शिवनारायण अ0सा0-13 अभियोजन की ओर से इस संबंध में साक्षी के तौर पर पेश किया गया है, कि वह लालपरी बस क्रमांक एम0पी0-30-एफ-245 पर कण्डक्टर रहा है, जो भिण्ड से मौ चलती है, जिसका मालिक बीरे तोमर, मुकेश चौधरी और धर्मेन्द्र शर्मा है, उसके पहले वह बस क्रमांक 744 पर भी चलता था, वह भी मौ से भिण्ड दो चक्कर लगाती थी और रात को बस मौ में रुकती थी, बस को वह अपने घर भी ले जाता था, बस क्रमांक 744 पर अट्टा उसका हेल्पर था और अट्टा का मोबाइल नंबर 8889466252 था, जिसके संबंध में शिवनारायण अ0सा0-13 ने समर्थन नहीं किया है, और प्र0पी0-21 का पुलिस को कथन देने से इन्कार किया है, राकेश पुत्र वासुदेव अ0सा0-14 को अभियोजन द्वारा इस आशय का अभिसाक्ष्य बताया गया है, कि लालपरी बस क्रमांक एम0पी0-30-744 का वह ड्रायवर था और लुहारपुरा का अट्टा उर्फ रामरतन तीन चार साल हेल्पर के रूप में बस पर चला था, उसने भी अट्टा उर्फ रामरतन का मोबाइल नंबर 8889476252 बताते हुए दो तीन वर्षों से

उसका उपयोग करना बताया है, जिसका न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में अ0सा0-14 ने समर्थन नहीं किया है और प्र0पी0-22 का पुलिस को कथन देने से इन्कार किया है, किंतु इस बात की स्वीकारोक्ति की है, कि वह उक्त बस पर ड्रायवर रहा है और अट्टा पर उक्त मोबाइल नंबर था या नहीं यह उसे पता नहीं है, अर्थात् मोबाइल क्रमांक 8889466252 या 8889476252 का उपयोग अभियुक्त अट्टा उर्फ रामरतन द्वारा किया गया अथवा नहीं इस बारे में वे अभियोजन का समर्थन नहीं करते हैं।

29. मोबाइल नंबर के संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है, उसमें बनबारी अ0सा0-01 ने अपने उपयोग वाला मोबाइल इन्टेक्स कंपनी का बताया है, जिसमें सिम क्रमांक 8965989899 बताया और अपने भाई विजयहरि का मोबाइल क्रमांक 9977421848 बताया है, विजयहरि अ0सा0-02 से मोबाइल नंबर के बारे में कोई तथ्य मुख्य परीक्षण प्रतिपरीक्षण में नहीं पूछे गए हैं।

30. घटना के विवेचक निरीक्षक शेरसिंह अ0सा0-17 ने अपने अभिसाक्ष्य कण्डिका 01 में ही यह बताया है, कि परिवादी जिस मोबाइल का उपयोग करता था, उसमें दो सिम थी, सिम क्रमांक 8965989899 संचालित थी और दूसरी सिम 7535950847 थी और मोबाइल का आई.एम.ई.आई. नंबर-911252001079404 एवं 911252001079412 था, जिसकी सर्च कराई गई थी, तो घटना के पश्चात मोबाइल के आई.एम.ई.आई. नंबर 911252001079404 में एक अन्य सिम क्रमांक 8889476252 संचालित होना पाई थी, जो सिम रमेश पुत्र बाबूसिंह निवासी वार्ड नंबर 01 मौ तहसील गोहद के नाम से थी, उस सिम का उपयोग अट्टा उर्फ रामरतन अभियुक्त के द्वारा किया जा रहा था, जिसकी लोकेशन सोनीपत हरियाणा शहर में पाई गई थी और उक्त सिम अट्टा उर्फ रामरतन द्वारा चलाए जाने की पुष्टि रमेश सिंह यादव जिसके नाम से सिम जारी थी, उसके द्वारा भी की गई थी, जो अभियुक्त अट्टा का रिश्ते में चाचा लगता है, उसने यह भी स्पष्ट किया है, कि आई.एम.ई.आई. नंबर 9911252001079412 में सिम क्रमांक +919644221315 का उपयोग पाया गया था, जो सिम दिनांक 27/09/14 को उक्त आई.एम.ई.आई. नंबर के मोबाइल में संचालित पाई गई थी और उक्त सिम अभियुक्त सुभाष के नाम रजिस्टर्ड थी, कण्डिका 17 में उक्त विवेचक द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर यह स्वीकार किया गया है, कि सुभाष के नाम की सिम नंबर 9644221315 सी0डी0आर0 के आधार पर लूट के मोबाइल में उपयोग होना उसने अनुसंधान में पाया था और सिम प्रदाता कंपनी के द्वारा यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी, कि सिम सुभाष के नाम किस दस्तावेज के आधार पर जारी की गई, तथा अट्टा द्वारा जिस सिम क्रमांक 88894476252 का उपयोग किया

जा रहा था जो उसके चाचा रमेश के नाम की थी, वह किस दस्तावेज के आधार जारी की गई थी, विवेचक ने यह भी स्वीकार किया है, कि अट्टा उर्फ रामरतन के चाचा रमेश का कथन अनुसंधान में इसलिए नहीं लिया था, क्योंकि रमेश ने सिम का उपयोग अपने भतीजे द्वारा नहीं किया जाना बताया था, बचाव पक्ष द्वारा संबंध में यह तर्क किया गया है कि सिम किस दस्तावेज के आधार पर जारी हुई थी, इसका प्रमाण संकलित नहीं है और रमेश जिसके नाम की सिम अट्टा उर्फ रामरतन द्वारा उपयोग में ली जाना बताया गया है उसका कथन नहीं लिया जाना बताया गया है, शिवनारायण और रमेश पुत्र वासुदेव साक्षियों ने मोबाइल नंबर के संबंध में समर्थन नहीं किया है, इसलिए जिस सी0डी0आर0 के आधार पर संलिप्त करना बताया है, उसकी विधि मान्यता नहीं रह जाती है, इसलिए घटना संदिग्ध मानी जाए। जिसका विशेष लोक अभियोजक ने कड़ा विरोध अपने तर्कों में किया है।

31. विवेचक शेरसिंह अ0सा0-17 के द्वारा मुख्यपरीक्षण की कण्डिका 01 व 02 में और प्रतिपरीक्षा की कण्डिका 17 में सिम क्रमांक और मोबाइल के आई.एम.ई.आई. नंबर के संबंध में जो साक्ष्य दी है, उसका खण्डन नहीं हुआ है, अभियुक्त सुभाष के नाम से जारी सिम किस दस्तावेज के आधार पर जारी हुई इसका प्रमाण न मिल पाना घटना को संदिग्ध नहीं बनाता है, क्योंकि अभिलेख पर जो प्र0पी0-13 और 14 की मोबाइल के उपयोग और सिम संबंधी कॉलडीटेल की सी0डी0आर0 पेश की गई है, उसके संबंध में साइबर सेल के विशेषज्ञ साक्षी आरक्षक महेश कुमार अ0सा0-09 और आरक्षक आनंद दीक्षित अ0सा0-10 के अभिसाक्ष्य कराए गए हैं, जिनका अभी आगे मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष निकाले जाएंगे, किंतु इस बिन्दु पर कोई खण्डन नहीं है, कि अभियुक्त सुभाष कुशवाह और अट्टा उर्फ रामरतन मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करते थे, जो बचाव साक्षी भी पेश हुआ है, उसने भी अट्टा उर्फ रामरतन द्वारा मोबाइल का उपयोग करना तो बताया है, किंतु किसी किस सिम नंबर का उपयोग अट्टा उर्फ रामरतन करता रहा है उस संबंध में उसने कोई साक्ष्य नहीं दी है, और अपने मोबाइल फोन से जो अट्टा का जो सिम क्रमांक 9074003255 बताया है, वह किस नाम से थी, इस बारे में भी कोई साक्ष्य नहीं दी गई है और कितनी सिमें अट्टा उर्फ रामरतन उपयोग में लाता रहा है, इस बारे में भी कोई साक्ष्य नहीं दी गई है, न ही अभियोजन साक्षियों को ऐसा कोई सुझाव दिया गया है, कि बचाव साक्षी द्वारा जो उपरोक्त सिम बताई गई है, वही अट्टा उर्फ रामरतन उपयोग करता था, सुभाष की जो सिम क्रमांक 9644221315 बताई गई है उसका भी खण्डन उसकी ओर से नहीं किया गया है और अट्टा उर्फ रामरतन के उपयोग में लाई गई सिम क्रमांक 8889476252 के संबंध में सुभाष द्वारा ऐसी कोई खण्डन

साक्ष्य नहीं दी गई है, कि उसने उक्त सिम का कभी उपयोग न किया हो, उसने इस बात का भी खण्डन नहीं किया है, कि रमेश पुत्र बाबूसिंह यादव निवासी बार्ड नंबर 01 मौ तहसील गोहद उसका चाचा नहीं था, प्र0पी0-13 की सी0डी0आर0 से इस बात की पुष्टि होती है, कि परिवादी के लूटे गए मोबाइल का आई.एम.ई.आई. नंबर के मोबाइल का उपयोग प्र0पी0-01 में बताई गई घटना के पश्चात अभियुक्त अट्टा की सिम का उसमें उपयोग हुआ है और उसकी लोकेशन भी सोनीपत की आई और निर्विवादित रूप से अट्टा सोनीपत में रहने और किशन हलवाई की दुकान पर मजदूरी करने का आधार लेकर आया है, तथा प्र0पी0-14 मुताबिक अभियुक्त सुभाष के नाम की सिम से उसकी बातचीत होने की भी पुष्टि होती है, जिसकी लोकेशन ग्राम व पोस्ट जमदारा तहसील गोहद जिला भिण्ड, मौ, मेहगांव, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में टॉवर लोकेशन पाई गई है, जिससे अभियुक्त सुभाष कुमार एवं अट्टा उर्फ रामरतन यादव की प्र0पी0-01 में बताई गई लूट सहित साधारण एवं घोर उपहति पहुंचाई जाने संबंधी घटना में उसकी संलिप्तता सुनिश्चित होती है और उसके संबंध में अभियोजन की साक्ष्य विश्वसनीय है और उसका खण्डन नहीं हुआ है।

32. प्रकरण में अभियोजन की द्वारा प्र0पी0-13 लगायत प्र0पी0-15 के रूप में मोबाइल फोन से हुए वार्तालाप, उनकी टॉवर लोकेशन, सिमों की स्थिति के संबंध में आरक्षक महेश कुमार अ0सा0-09 ने अपने अभिसाक्ष्य में सायबर सेल शाखा जिला पुलिस बल भिण्ड में दिनांक 29/05/10 से कार्यरत रहना बताते हुए दिनांक 01/10/14 को थाना मौ से प्राप्त हुए पत्र जिसमें लूटे गए मोबाइल क्रमांक 8965989899 की कॉलडिटेल निकलवाने हेतु निवेदन किया गया था, जो अभियुक्त द्वारा लूटा गया बताया था, जिसका आई.एम.ई.आई. नंबर 911252001079400 था जिसमें अभियुक्तों द्वारा फरियादी की सिम निकाल कर अपनी सिम क्रमांक 8889476252 का उपयोग किया गया था जिसके संबंध में दिनांक 11/09/14 से दिनांक 07/10/14 तक की डिटेल निकाली गई थी। इस्तेमाल की गई दूसरी सिम क्रमांक 9644221315 की कॉलडिटेल दिनांक 01/09/14 से दिनांक 12/09/14 तक की निकाली गई थी, जो कॉलीडिटेल प्र0पी0-13 एवं 14 है, अभियुक्त द्वारा दोनों सिमों का लूट के मोबाइल में इस्तेमाल किया जाना पाया गया था, जिसके संबंध में उक्त साक्षी ने कण्डिका-03 में यह कहा है, कि आइडिया कंपनी की इस्तेमाल की गई उपरोक्त तीनों सिमों क्रमशः 8965989899, 8889476252 एवं 9644221315 किस किस के नाम जारी हुई थी और किस पहचान के प्रमाण के आधार पर जारी हुई थी, इस बात का उल्लेख प्र0पी0-13 एवं 14 में नहीं किया है, क्योंकि ऐसी जानकारी नहीं मांगी गई थी, बचाव पक्ष का उक्त संबंध

में तर्क विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि विवेचक शेरसिंह अ0सा0-17 के पैरा-17 में अट्टा उर्फ रामरतन एवं सुभाष के अधिवक्ता द्वारा दिए गए सुझावों पर से इस तथ्य की स्वीकारोक्ति आ चुकी है, कि सिम क्रमांक 9644221315 सुभाष के नाम की और सिम क्रमांक 8889476252 अट्टा उर्फ रामरतन के चाचा रमेश के नाम की थी, किस पहचान प्रमाण के आधार पर सिमें जारी हुई यह उक्त स्थिति में महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि दोनों का उपयोग किया जाना उपलब्ध उक्त साक्ष्य से स्थापित हुआ है, जैसा कि ऊपर विश्लेषण में आया है, स्वीकृत तौर पर अट्टा उर्फ रामरतन सोनीपत में मजदूरी करता रहा है और उसके टॉवर लोकेशन सोनीपत की ही आई है।

33. साक्षी महेश कुमार अ0सा0-09 ने कण्डिका-03 में यह भी स्पष्ट किया है, कि मोबाइल के आई.एम.ई.आई. नंबर के सरल क्रमांक का आखिरी अंक शून्य के रूप में जनरेट करके देती है और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी नोडल ऑफीसर से मोबाइल की आई.एम.ई.आई. नंबर की सीरिज का आखिरी अंक प्राप्त किया जा सकता है, इस तरह से उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य में प्र0पी0-13 एवं 14 की कॉलडिटेल् को लेकर कोई तात्त्विक विसंगति या विरोधाभास प्रकट नहीं है और अभियुक्त अट्टा उर्फ रामरतन के द्वारा एफ0आई0आर0 में जिस मोबाइल की लूट बताई गई है, उसमें अपने चाचा की सिम क्रमांक 8889476252 का उपयोग किया जाना, सुभाष के द्वारा स्वयं के नाम की सिम क्रमांक 9644221315 से वर्तालाप किया जाना प्रमाणित होता है।

34. आरक्षक आनंद दीक्षित अ0सा0-10 भी सायबर सेल शाखा में पदस्थ आरक्षक है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिण्ड की सायबर सेल शाखा में दिनांक 19/02/12 से कार्यरत रहना और उसके द्वारा थाना मौ के अपराध क्रमांक 310/14 धारा-394 भा0द0वि0 एवं 11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 में आई.एम.ई.आई. नंबर 911252001079404 की सी.डी.आर. के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-65 (बी) के अंतर्गत प्रमाणीकरण पुलिस अधीक्षक के माध्यम से थाना मौ के प्र0पी0-15 के रूप में भेजा जाना बताई गई है, जिस पर उसने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर भी है और उसने यह भी स्पष्ट किया है, कि थाना मौ के उक्त अपराध के संबंध में लूटे गए मोबाइल को उक्त आई.एम.ई.आई. नंबर की सी.डी.आर. दिनांक 11/09/14 से 07/10/14 तक ली गई थी, उसने भी अ0सा0-09 की तरह ही ऊपर वर्णित तीनों सिम क्रमांकों का उपयोग बताते हुए प्र0पी0-13 एवं 14 की सी.डी.आर. की पुष्टि करते हुए, कंपनी द्वारा आई.एम.ई.आई. नंबर के अंतिम अंक में शून्य अंक जनरेट

करके दिया जाना बताया है, कण्डिका 02 में उसने सी.डी.आर. प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट की है, और अ0सा0-09 की तरह ही कण्डिका-03 में उसे सुझाव दिया गया जो कि औपचारिक स्वरूप की है, प्र0पी0-13 एवं 14 की सी.डी.आर. के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-65 (बी) के तहत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संबंध में दिया गया प्रमाणीकरण साक्ष्य में ग्राह्य योग्य है और जिस प्रक्रिया के तहत उसे प्राप्त किया गया उसका उल्लेख प्र0पी0-15 में भी है, और अ0सा0-10 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट किया है, जिससे भी अब उक्त अभियुक्तगण की कारित घटना में प्रत्यक्षतः संलिप्तता संदेह के परे प्रमाणित होती है।

35. प्र0पी0-01 मुताबिक लूट की घटना के समय तीन अभियुक्त थे और अज्ञात थे विवेचक शेरसिंह अ0सा0-17 के मुताबिक सायबर सेल से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर अनुसंधान को आगे बढ़ाया था और कॉलडिटेल् के आधार पर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करना कहा है, अभियोजन की ओर से इस संबंध में भी साक्ष्य पेश की गई है जिसमें अभियुक्तगण का परिवादी से धारा-09 साक्ष्य विधान के तहत पहचान परेड भी कराई गई, जिसके संबंध में परिवादी बनवारी अ0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य की कण्डिका 04 में अभियुक्तगण की प्र0पी0-04 एवं 05 के शिनाख्ती मेमो अनुसार पहचान की कार्यवाही जेल गोहद में होना और अभियुक्तों की सही पहचान करना उसने बताया अभियुक्तगण की पहचान के बिन्दु पर कण्डिका 17 में उसने यह भी स्पष्ट किया है, कि लूट कारित करने वालों में से दो की उम्र 28 से 30 वर्ष के करीब और एक की उम्र 24 से 25 वर्ष की रही होगी और उसने यह भी स्पष्ट किया है, कि मोटरसाइकिल की लाइट जल रही थी उसके उजाले में उसने देख लिया था, उस समय अभियुक्तों के मुंह खुले थे इसलिए वह पहचानता है, कण्डिका 19 में उसने यह अवश्य कहा है, कि पहचान की कार्यवाही कितने बजे हुई थी, यह वह नहीं बता सकता है, किंतु पहचान की कार्यवाही वह नायब तहसीलदार मेडम द्वारा कराई जाना और लिखित सूचना प्राप्त होना बताता है, और यह भी कहा है, कि पहचान की कार्यवाही में प्रत्येक अभियुक्त के साथ पांच अन्य कैदियों को शामिल किया गया था, मिलाए गए कैदी अलग अलग कद काठी उम्र और बनावट के थे पहचान की कार्यवाही जेल के अंदर कराई गई थी। इस प्रकार से परिवादी द्वारा अभियुक्तों की पहचान की कार्यवाही जिस तरह से हुई उसमें प्रक्रिया का विधि सम्मत अनुसरण करना बताया गया है, और उसका खण्डन नहीं हुआ है, अभियुक्तगण की उम्र को देखा जाए तो वह भी लगभग किए गए आंकलन अनुरूप है, क्योंकि अभियुक्त सुभाष 34-35 वर्षीय अट्टा उर्फ रामरतन 25 से 27 वर्षीय उम्र का आंकलित हुआ है, विशेष अंतर नहीं है, प्र0पी0-04 एवं 05 के शिनाख्ती पत्रकों में भी

जो मिलाए गए बन्दियों की जानकारी दी गई है, उसमें भी अभियुक्त के अलावा पांच पांच अन्य कैदी अलग अलग उम्र के मिलाए जाना प्रकट होता है।

36. अभियुक्तों की पहचान कराने वाली नायब तहसीलदार बंदना बघेल अ0सा0-04 का भी अभियोजन की ओर से अभिसाक्ष्य कराया गया है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 07 जनवरी 2016 को थाना मौ के अपराध क्रमांक 310/14 धारा-394 भा0द0वि0 एवं 11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के अंतर्गत अभियुक्त अट्टा उर्फ रामरतन की शिनाख्ती कार्यवाही उपजेल गोहद में कराई जाना और अभियुक्त के समान कद, काठी उम्र के छः व्यक्तियों को शामिल किया जाना तथा शिनाख्तीकर्ता फरियादी बनवारी सिंह यादव द्वारा अपनी दाहिनी हाथ के हथेली अभियुक्त अट्टा उर्फ रामरतन के सिर पर रखकर उसकी पहचान सही रूप से किया जाने पर प्र0पी0-04 का शिनाख्ती मेमो की कार्यवाही करना बताई है, इसी प्रकार अभियुक्त सुभाष की भी पहचान परेड की कार्यवाही किया जाना और फरियादी शिनाख्तीकर्ता बनवारी सिंह द्वारा उसके भी सिर पर दाहिनी हथेली रखकर सही पहचान करने पर प्र0पी0-05 का शिनाख्ती मेमो की कार्यवाही करना बताया है, दोपहर के समय शिनाख्ती की कार्यवाही किया जाना कण्डिका-04 में उसने बताया है, गलत पहचान परेड कराए जाने से उसने कण्डिका-06 और 07 इन्कार किया है, पहचान परेड के संबंध में बचाव पक्ष का यह तर्क विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है, कि नायब तहसीलदार को शिनाख्ती कार्यवाही के लिए कोई लिखित आदेश प्राप्त हुआ या नहीं यह नायब तहसीलदार बताने में असमर्थ है और शिनाख्ती कार्यवाही संबंधी आदेश अभिलेख पर पेश न किए जाने का भी कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन के मामले पर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि वंदना बघेल अ0सा0-04 राजस्व वृत्त गोहद में नायब तहसीलदार के पद पर वर्ष 2013 से पदस्थ होना बताती है और उसका कोई खण्डन नहीं है, तथा उसके द्वारा विधि सम्मत तरीके से शिनाख्ती कार्यवाही कराई गई है, उसने यहां तक स्पष्ट किया है, कि वह शिनाख्ती कार्यवाही के लिए दोपहर 02:45 बजे से कुछ समय पहले उपजेल गोहद पहुंची थी और शिनाख्ती कार्यवाही जेल के बरामदे में कराई गई थी, शिनाख्ती कार्यवाही के समय पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित नहीं थे, तथा जो बंदी मिलाए गए थे वे समान कद, काठी के थे और बंदियों एवं अभियुक्तों को मिलाकर खड़ा किया गया था, प्र0पी0-04 एवं 05 उसकी स्वयं की हस्तलिपि में है और उसका खण्डन नहीं है।

37. ऐसी स्थिति में प्र0पी0-04 एवं 05 की शिनाख्ती कार्यवाही पूर्णतः वैधानिक होकर विश्वसनीय पाई जाती है और उसके

संबंध में फरियादी बनवारी सिंह अ०सा०-01 और नायब तहसीलदार बंदना बघेल अ०सा०-04 विश्वसनीय साक्षी है, जिससे भी उक्त अभियुक्तगण का प्र०पी०-01 की एफ०आई०आर० में बताई गई घटना में शामिल रहते हुए घटना उन्हीं के द्वारा कारित किया जाना युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित होता है, शिनाख्ती परेड के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृ० महावीर विरुद्ध स्टेट ऑफ़ देहली ए०आई०आर० 2008 एस०सी० पेज 2343 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है, कि शिनाख्ती परेड संपुष्टिकारक साक्ष्य होती है, यह वहां आवश्यक हो जाती है, जहां अभियुक्त को साक्षी पहले से नहीं जानते हैं और शिनाख्ती परेड गिरफ्तारी होने पर जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी कराई जाना चाहिए, इस प्रकरण में भी फरियादी बनवारी सिंह अभियुक्तगण से पूर्व परिचित नहीं है और गिरफ्तारी के बाद बिना अनुचित बिलंब के शिनाख्ती कार्यवाही कराई गई है, जिससे प्र०पी०-04 एवं 05 की शिनाख्ती कार्यवाही संपुष्टिकारक होकर ग्राह्य योग्य हो जाती है।

38. इस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से ऊपर वर्णित अनुसार साक्ष्य, तथ्य, परिस्थितियों के समेकित रूप से किए गए विश्लेषण के आधार पर विचाराधीन अभियुक्तगण सुभाष कुशवाह एवं अट्टा उर्फ रामरतन यादव के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे अभियोजन यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल है, कि उन्होंने दिनांक 11/09/14 को रात करीब 09:45 बजे जीरो रोड तिराहे के पास मौ गोहद रोड की पुलिया जो थाना मौ के क्षेत्रांतर्गत होकर डकैती प्रभावित क्षेत्र में आती है, उसमें अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व फरियादी बनवारी सिंह यादव को राजमार्ग पर रोककर उसके आधिपत्य से सोने की जंजीर, एक मोबाइल फोन और नकद रूपयों की लूट उसे स्वेच्छया सख्त भौथरी वस्तु लाठियों से साधारण व घोर उपहतियां पहुंचाते हुए कारित की, परिणाम स्वरूप उक्त दोनों अभियुक्तगण को विरचित आरोप धारा-392/397 सहपठित धारा-34 भा०द०वि० एवं 11, 13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 के अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है और प्रकरण की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं, कि अभियुक्तगण अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 अथाव दं०प्र०सं० की धारा-360 की पात्रता रखते हों, इसलिए दण्डाज्ञा के बिन्दु पर सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया जाता है।

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

—::— दण्डाज्ञा —::—

39. दण्डाज्ञा के बिन्दु पर अभियुक्तगण सुभाष एवं अटटा उर्फ रामरतन के विद्वान अधिवक्ता को एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्क सुने गये । विशेष लोक अभियोजक का तर्क है कि अपराध गंभीर है और लूट डकैती की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कड़ा दण्ड दिया जावे । जबकि अभियुक्तगण सुभाष एवं अटटा उर्फ रामरतन के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क है कि अभियुक्तगण नवयुवक हैं और शांतिप्रिय व्यक्ति हैं और मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अभियुक्तगण की कोई पूर्व की दोषसिद्धि नहीं है, तथा वे प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित रहकर अभियोजन का सामना करते चले आ रहे हैं, इसलिये उसपर दया का भाव रखते हुए काटी गयी न्यायिक निरोध की अवधि से या जुर्माने से दण्डित कर छोड़ दिया जावे ताकि उसका भविष्य बरवाद न हो और परिवार संकटापन्न न हो ।

40. उभयपक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिन्तन मनन किया गया । अभिलेख व अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों पर भी विचार किया गया । अभिलेख पर अभियुक्तगण सुभाष एवं अटटा उर्फ रामरतन के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि का प्रमाण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं है। जिससे उनके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि अवश्य होती है किन्तु लूट की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए दोषसिद्ध अभियुक्तगण सुभाष एवं अटटा उर्फ रामरतन के संबंध में उदार रुख अपनाया जाना उचित व न्यायसंगत नहीं होगा, बल्कि यथोचित दण्ड आवश्यक है । इस दृष्टि से उक्त अभियुक्तगण सुभाष एवं अटटा उर्फ रामरतन के द्वारा न्यायिक निरोध के दौरान भोगी गयी न्यायिक अवधि भी पर्याप्त दण्डादेश नहीं मानी जा सकती है इसलिये अभियुक्तगण सुभाष एवं अटटा उर्फ रामरतन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं । तथा केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर दोषसिद्ध अपराधों में छोड़ा जाना विधिक रूप से भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क स्वीकार योग्य नहीं पाये जाते हैं और इस संबंध में न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ़ एम.पी. विरुद्ध मुन्ना चौबे 2005 वॉल्यूम-03 जे.एल.जे.(एस.सी.) पेज-277** अवलोकनीय है। जिसमें यह अवधारित किया है कि सामाजिक रूप से ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाये जाने एवं लोगों की धारणा में परिवर्तन लाये जाने के उद्देश्य से तथा समाज सुरक्षित रह सके तथा विधि की समाज में प्रतिष्ठा कायम हो सके इस दृष्टि से उचित दण्ड अधिरोपित किया जाना आवश्यक है।

41. दोषसिद्ध अपराध धारा-392 / 397, 34 भा0द0वि0

सहपठित धारा-11,13 एम.पी.डी.बी.पी.के. एक्ट में से धारा-71 भा0द0वि0 को देखते हुए उक्त संपूर्ण आरोप में एक ही दण्ड दिया जाना विधि संमत व न्याय संगत पाया जाता है, इसलिये अभियुक्तगण अट्टा उर्फ रामरतन एवं सुभाष को धारा-392/397, 34 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11/13 एम.पी.डी.बी.पी.के. एक्ट 1981 के अपराध के लिए दस-दस साल के सश्रम कारावास एवं दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। विचारण के दौरान अभियुक्तगण सुभाष एवं अट्टा उर्फ रामरतन द्वारा काटी गयी न्यायिक निरोध की अवधि धारा-428 द.प्र.सं.के तहत प्रमाणपत्र में जोड़ी जावे। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में व्यक्तिक्रम में 06-06 माह का साधारण कारावास भुगताया जावे। अभियुक्तगण सुभाष एवं अट्टा उर्फ रामरतन को निर्णय की निशुल्क नकलें प्रदाय की जावें।

42. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
43. अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड की जमा राशि में से बतौर प्रतिकर धारा-357 द.प्र.सं. के अंतर्गत फरियादी बनवारीसिंह पुत्र दौलतसिंह निवासी ग्राम बमरौली थाना मौ को दस हजार रुपये अपील अवधि उपरांत विधिवत प्रदान किये जावें।
44. प्रकरण में अभियुक्त बंटी उर्फ अतेन्द्र फरार है, इसलिये संपत्ति व अभिलेख सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।
45. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये।

दिनांक: 25/02/2017

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड